



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य चक्र

सम्पत्ति नहीं बेचने हेतु सख्ती  
जाहिर की है।  
देना पक्षकारन को सुना गया।  
पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन  
किया गया। पत्रों का परिना पत्र  
स्वीकार किया जाता है। वह आदेश  
दिया जाता है। विद्यार्थीगण सख्ती  
हराराम उस्ता आराजी धूम्र ग्राम  
खट्ट के ख. नं. 159, 20, 23, 57,  
83 कुल सख्या 77-15 बीघा धूम्र  
में बेचान। हस्तान्तरण / बिक्री अन्त  
किसी को नहीं करे। उस्ता आराजी  
धूम्र में बेचान आदि की बपाहियती  
का आदेश दिया जाता है।  
पत्रावली केवल सुकाल हेमर  
दार्शनिक दफ्तर है।

आदेश खुले न्यायालय क्षेत्र  
अदालत के रूप में सुनाया गया

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
बालोतरा कैम्प.....